राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 545/2019

कविता पुत्री श्री माही राम डेहरू, उम्र लगभग 22 वर्ष, निवासी वीपीओ जेगला, नोखा, जिला बीकानेर (राज.)

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर।

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री विवेक फिरोदा

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री दीपक चांडक

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

28/05/2024

1. वर्तमान याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रतिवादियों को जिला परिषद, बीकानेर में शिक्षक ग्रेड-III, लेवल-II, विषय सामाजिक विज्ञान के पद के लिए याचिकाकर्ता के दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए उचित निर्देश देने की मांग की है।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि प्रतिवादियों ने सामाजिक विज्ञान विषय सहित अध्यापक ग्रेड III, लेवल-II के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण ओबीसी विधवा श्रेणी में इसके लिए आवेदन किया। 03.09.2018 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को अनंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया। उसे दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बीकानेर जिला आवंटित किया गया, जो 08.09.2018 को आयोजित किया जाना था। इसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुई,

लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि याचिकाकर्ता के दस्तावेजों में कुछ कमियां थीं और उसे बताया गया कि उसका नाम बाद की सूची में शामिल किया जाएगा। 28.12.2018 को प्रतिवादी संख्या 2 ने परिणाम में फेरबदल किया लेकिन याचिकाकर्ता का नाम उक्त सूची में शामिल नहीं किया गया क्योंकि वह 08.09.2018 को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं थी। याचिकाकर्ता ने 31.12.2018 को अभ्यावेदन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए, यह याचिका।

3. याचिका में उपरोक्त कथन के जवाब में, उत्तर में बचाव यह दिया गया है कि याचिकाकर्ता स्वयं दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रही और इसलिए, याचिकाकर्ता और अन्य उम्मीदवारों की अनुपस्थिति के कारण, सूची में फेरबदल किया गया। याचिकाकर्ता का नाम उसकी अनुपस्थिति के कारण शामिल नहीं किया गया था, न कि दस्तावेजों में कमी के कारण, जैसा कि 28.02.2019 के बाद के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक आर/1) से पुष्ट होता है ।

4. मामले के उपरोक्त प्रतिद्वंद्वी तथ्यों में, मैंने तर्कों को सुना है और इसके कारणों को दर्ज करके अपनी राय देने के लिए अनुवर्ती पैरा में आगे बढ़ूंगा।

5. इस विवाद का सार यह है कि एक ओर, प्रतिवादियों का दावा है कि याचिकाकर्ता अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके यह साबित करने के लिए दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान उपस्थित नहीं हुई कि वह वास्तव में विधवा है, जबकि दूसरी ओर, याचिकाकर्ता का दावा है कि वह 08.09.2018 को दस्तावेजों के सत्यापन के समय संबंधित अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हुई थी।

6. जैसा कि दलील दी गई है और ऊपर उल्लेख किया गया है, घटनाओं और कालक्रम के अनुक्रम से ऐसा प्रतीत होता है कि 08.09.2018 तक याचिकाकर्ता के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपेक्षित मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि उसके पति की मृत्यु 05.04.2013 को हो गई थी। हालांकि उसने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए रिपोर्ट की, लेकिन अपेक्षित दस्तावेजों के अभाव में उसे भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। स्थिति का सामना करते हुए, याचिकाकर्ता ने 08.09.2018 के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के लिए तत्काल कदम उठाए और उसे 26.09.2018 को उक्त प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तब तक, परिणाम घोषित नहीं किया गया था और जब याचिकाकर्ता ने अपेक्षित प्रमाण पत्र के साथ अधिकारियों से संपर्क किया, तो उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहां दस्तावेजों का दौर पहले ही समाप्त हो चुका था।

7. पूरी तरह निराश होकर उसने 20.12.2018 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। हालाँकि, परिणाम घोषित होने पर उसने पाया कि उसका नाम विधवा की श्रेणी में सफल उम्मीदवारों की सूची में नहीं था। फिर उसने तुरंत एक और अभ्यावेदन दायर किया जिसमें कहा गया कि हालाँकि उसे बाद में अपेक्षित प्रमाण पत्र मिल गया था, लेकिन उसे पहले दस्तावेज़ सत्यापन दौर में अनुपस्थित चिह्नित किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि उसे पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए और उसे जमा करना चाहिए और फिर अंतिम चयन सूची तैयार होने से पहले उस पर विचार किया जाएगा।

8. इन्हीं परिस्थितियों में उसने तत्काल याचिका दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें दिनांक 22.01.2019 के अंतरिम आदेश के तहत उसे निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान की गई:-

> "इस बीच, प्रतिवादी ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर महिला (विधवा) श्रेणी में शिक्षक ग्रेड III (सामाजिक विज्ञान) नॉन-टीएसपी का एक पद रिक्त रखेंगे।"

9. न्यायालय के प्रश्न पर, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पद को रिक्त रखा गया है, लेकिन बाद में, दिनांक 28.02.2019 के कार्यालय आदेश (अनुलग्नक आर/1) के माध्यम से, दस्तावेजों के सत्यापन दौर में उपस्थित नहीं होने के कारण याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई। जहां तक 28.02.2019 के बाद के आदेश का संबंध है, इसका कानूनी संज्ञान नहीं लिया जा सकता है क्योंकि ऐसा लगता है कि यह याचिकाकर्ता को न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम सुरक्षा के जवाब में पारित किया गया है। एक बार जब इस न्यायालय के अंतरिम आदेश द्वारा पद को रिक्त रखने का निर्देश दिया गया था, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को रद्द करने का कोई कानूनी परिणाम नहीं है।

10. याचिकाकर्ता के दावे पर वापस लौटते हुए, मृत्यु प्रमाण पत्र की वास्तविकता या इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता अपने आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि पर विधवा थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु 05.04.2013 को हुई थी। प्रतिवादियों द्वारा घोषित परिणाम के अनुसार वह अन्यथा योग्य है, इस पर भी कोई विवाद नहीं है। आधार में, उसके विचार न किए जाने का एकमात्र कारण यह था कि उसने दस्तावेजों के सत्यापन के समय अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था।

11. इस विशेष आधार पर, मेरा मानना है कि प्रतिवादियों को या तो याचिकाकर्ता को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाना चाहिए था या फिर वैकल्पिक रूप से उसे राज्य सरकार द्वारा विधवाओं के लिए लागू की गई कल्याणकारी नीति का लाभ दिया जाना चाहिए था, ताकि उन्हें आजीविका प्रदान की जा सके और उसे इस शर्त पर अनंतिम नियुक्ति की पेशकश की जा सकती थी कि यदि वह अपनी नियुक्ति के एक निश्चित समय के भीतर मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करती है, तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

12. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि प्रमाण पत्र वास्तविक नहीं पाया जाता, तो प्रतिवादी ऐसे उम्मीदवार के खिलाफ उचित कदम उठा सकते थे। यहां ऐसा नहीं होने के कारण, मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता योग्य विधवा है, क्योंकि वह अन्य विधवाओं की तुलना में अधिक योग्य है, जिनके साथ उसने प्रतिस्पर्धा की थी। समग्र आधार पर, वह प्रश्नगत पद पर नियुक्त होने की हकदार है।

13. परिणामस्वरूप, याचिका को अनुमति दी जाती है। 28.02.2019 (अनुलग्नक आर/1) का आदेश रद्द किया जाता है, हालांकि रिट याचिका में कोई औपचारिक प्रार्थना नहीं है, लेकिन चूंकि मैंने दर्ज किया है कि इस न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद उक्त कार्यालय आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

14. याचिकाकर्ता को तत्काल आदेश की वेब प्रिंट के साथ प्रतिवादियों से संपर्क करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि उसे "कोई काम नहीं-कोई वेतन नहीं" के सिद्धांत पर उस अवधि के लिए कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाएगा, जब उसने काम नहीं किया था। हालांकि, वरिष्ठता आदि सहित अन्य सभी काल्पनिक लाभ याचिकाकर्ता को उसके समकक्षों के साथ समानता में दिए जाएंगे, जिनके साथ उसने उसी चयन में प्रतिस्पर्धा की थी।

16. प्रतिवादियों के विद्वान वकील के अनुरोध पर, जो मुझे उचित लगता है, प्रतिवादियों को नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले याचिकाकर्ता के सभी आवश्यक दस्तावेजों को सत्यापित करने की स्वतंत्रता दी जाती है और यदि कोई कमी पाई जाती है, तो उसे इसे सुधारने का अवसर दिया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।